संख्याः 534 /18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरॉंचल शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 9 अगस्त, 2005

विषयः तहसील टनकपुर के ग्राम टनकपुर में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, चम्पावत के पत्र संख्या–1605/सात–01/2004–2005 (भू0आबं0) दिनांक 21 जुलाई, 2005 एंव रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–2781/यू0एच0सी0/एडमिन0–बी दिनांक 20–7–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–260/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम मे ग्राम टनकपुर, चम्पावत के खाता संख्या–209 के खसरा नम्बर 317 (अ) मध्ये 0.360 है0 (150 X 260 = 39,000 वर्ग फीट) भूमि न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु न्याय विभाग, उत्तरांचल शासन को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

...(2)

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

2– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3– जिलाधिकारी, चम्पावत।
4– मा0 जिला जज, चम्पावत।
5– एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।